बिहार सरकार
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना ।

पत्रांक- ख० आ० वि० - 25/97- 3439 पटना, दिनांक 26.9.97

प्रेषक,

श्री पी०एन० नारायणन,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची ।

विषय : उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिला उपभोक्ता फोरम बिहा में तृतीय / चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के समायोजन के आधार पर नियुक्ति ।

प्रसंग: आपका पत्रांक- 351(ii) दिनांक 15.7.97 एवं पत्रांक- 380 दिनांक 5.9.

महाशय,

निर्देशानुसार, उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग में दिनांक 16/9/97 को माननी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जिला पदाधिकारी / उपायुक्त की बैठक के आपसे हुई वार्त्ता का स्मरण किया जाय । आपने अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना मद में सृजित पदों पर राँची जिल फोरम में नियुक्त किये जानेवाले कर्मिकों के पदनाम के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया ज

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के अनुशंसा के आलोक में अखिल भारतीय आकार को ध्यान में रखकर सभी जिला उपभोक्ता फ में आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत समान रूप से अन्य पदों के अलावा निजी सहायक / आशु बेंच क्लर्क एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद सृजित किया है । इन पदों के वेतनमान के अनु निजी सहायक का जो पद है वह आशुलिपिक का ही है तथा बेंच क्लर्क एवं निम्नवर्गी लिपिक का जो पद है वह भी लिपिक का है । कर्मचारियों की वरीयता, वेतन एवं अ कठिनाईयों का निराकरण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना है अतएव इन पदों पर जिला पदाधिकारी का प्रशासनिक नियंत्रण रहना आवश्यक है इसलिए जिला पदाधिकारी को नियुक्ति पदाधिकारी बनाया गया है । चूँकि उन प पर आपका प्रशासनिक नियन्त्रण है, इसलिए आप अपनी सुविधानुसार निजी सहाय बेंच क्लर्क एवं निम्नवर्गीय लिपिक को जिला संवर्ग के अन्य शाखा में क्रमश: आशुलि एवं लिपिक के रूप में स्थानान्तरित कर/ले सकते हैं, परन्तु उनके स्थान पर जो आशुलि एवं लिपिक उपभोक्ता संरक्षण शाखा में यदि स्थानान्तरित होकर आयेंगे तो उ पद पर बने रहने की अवधि में वे निजी सहायक / बेंच क्लर्क एवं निम्नवर्गीय लिपिक के से पदनामित होंगे ।

(क्रमश: उलटें)

अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में औपचारिक रूप से कार्मिकों के योगदान की तिथि से ही नियुक्ति-पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।
20/9/94

ज्ञापांक- प्र० नि० १ - 29/97- 3437 पटना, दिनांक 20.9.94

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
20/9/94